(वाद संख्या–5865/18)

17.12.2019

प्रसंगाधीन मामला परिवादी श्री रामनारायण चौधरी, जिला पूर्णिया के सेवान्त लाभ से संबंधित है।

परिवादी के आवेदन पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना के द्वारा अपने पत्रांक 9/विधि 06–110/2018–41, दिनांक 10.01. 2019 के माध्यम से एक प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया जिस प्रतिवेदन को परिवादी को भेजते हुए उनसे जवाब की मांग की गयी थी। परिवादी से प्राप्त जवाब को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भेजते हुए पुनः उनसे प्रतिवेदन की मांग की गयी थी।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्रांक 9/विधि 06–110/2018–748, दिनांक 03.10.2019 के माध्यम से पुनः एक प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता है ताकि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जा सके :–

1. बैंक खाता संख्या के पास बुक की छाया प्रति
2. पैन कार्ड की छाया प्रति।
3. आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. ई–मेल आई0डी0सं0
5. मोबाईल नं0
6. पेंशन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात (अपने पत्नी के फोटोग्राफ के साथ) तथा पारिवारिक सूची की सूचना।

कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) की प्रति संलग्न कर परिवादी को उक्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित कागजात, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को भेजने हेतु निर्देशित किया जाय।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए संचिका बंद की जाती है।

आज पारित आदेश की प्रति परिवादी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना भेज दी जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>